

प्रेस नोट दिनांक 26.07.2024

जनपद चन्दौली

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत आर्म्स एक्ट के आरोपी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जेल में बितायी गयी अवधि 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधूरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) जनपद चन्दौली नें दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

जनपद चन्दौली थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.12.14 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.इबरार अंसारी पुत्र हुसैन अंसारी निवासी नवाडीह थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड के विरुद्ध अपराध संख्या- 94/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार आरक्षी श्याम इन्दर मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 26.07.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधूरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) जनपद चन्दौली नें दोषी 01 अभियुक्त इबरार अंसारी पुत्र हुसैन अंसारी निवासी नवाडीह थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक 26.07.2024

जनपद चन्दौली

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत दहेज हत्या के आरोपी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 07 वर्ष का कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

जनपद चन्दौली थाना कन्दवा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 30.03.2018 को धारा 498ए,304वी,323 भादवि व ¼ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.जीउत बिन्द पुत्र भोला बिन्द 2.भोला बिन्द पुत्र स्व0 चन्द्रजीत 3.नागा देवी पत्नी भोला बिन्द निवासी गण ग्राम खुरहट परशुरामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 32/2018 धारा498ए,304वी,323 भादवि व ¼ डीपी एक्ट थाना कन्दवा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (ए0डी0जी0सी0) व थाना कन्दवा के पैरोकार हे0का0 प्रभता चौधरी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 26.07.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त जीउत बिन्द पुत्र भोला बिन्द निवासी ग्राम खुरहट परशुरामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली को 07 वर्ष का कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी